संचिका सं0–10/अति0–08–16/2013 ......1022(10)....

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 29-01-19

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में पटना जिलान्तर्गत बेलछी प्रखड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकसौहरा के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि 1,14,07,000/– (एक करोड़ चौदह लाख सात हजार) रुपये के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की राशि 1,21,44,093/–(एक करोड़ इक्कीस लाख चौवालिस हजार तिरानवे रुपये) का अन्तर राशि (1,21,44,093–1,14,07,000)=7,37,093/-(सात लाख सैंतीस हजार तिरानवे) रुपये मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–1550(10), दिनांक–25.02.2014 एवं आवंटनादेश संख्या–59(10)ब, दिनांक–25.03.2014 से पटना जिलान्तर्गत बेलछी प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकसौहरा के भवन निर्माण हेतु रुपये 1,14,07,000/–(एक करोड़ चौदह लाख सात हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। इस क्रम में मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–3507, दिनांक–29.10.2018 से बतलाया गया है कि पूर्व में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकसौहरा के भवन निर्माण हेतु जो भूखंड उपलब्ध कराया गया था वह निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं था। साथ ही, उक्त भूमि से होकर 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गुजर रहा था, जिसके कारण भवन निर्माण हेतु अंचलाधिकारी, बेलछी द्वारा सकसौहरा बेनार मोड़ के पास भूखंड उपलब्ध कराया गया, यह भूखंड काफी गहरा होने के कारण भवन के निर्माण में तुलनात्मक रूप से नींव का अधिक कार्य कराना पड़ा एवं निर्माण में कुल रुपये 1,21,44,093/–का व्यय हुआ। तद्क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में अतिरिक्त कुल 1,21,44,093–1,14,07,000=7,37,093/-(सात लाख सैंतीस हजार तिरानवे रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0109–स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210020510109, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(3) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–244 एवं विपत्र कोड–K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।

D-Dip-10_A.K> Rajayadesh>(2016-17). HSC. Patna (Belchhi) Saksahoura

(4) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(6) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(7) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

(8) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(9) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/अति0–08–16/2013 के पृष्ठ–10/टि0 में प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/1/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के **विशेष सचिव** ।

ज्ञापांकः– 1022(50) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 29-01-19

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलछी (पटना)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/संबंधित सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/1/19

सरकार के विशेष सचिव ।